2022/108

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया प्रमिला स्वामी पुत्र रामजी लाल स्वामी पत्नी ताराचन्द स्वामी निवासी मकान नं0 29 वृद्धाश्रम मार्ग, महावीर इन्टरनैशनल कॉलोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद की प्रति एवं रसीद गुम होने का हलफनामा पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता रामजी लाल पुत्र गोकुल दास जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 14 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 07.06.2017 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 28.09.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 07.06.2017 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीया को गवाहान राजेश गेरा पुत्र गोपाल दास गेरा एवं सोनिया पत्नी पंकज स्वामी ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द सेवटा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

18/4